eradicated? Poverty is there due to over-population. So, I would like to know whether the population problem and population explosion as a threat to civilisation was discussed or not. If it was discussed, then what were the views of the other SAARC countries which were present there? We do not believe in limiting the family size. I don't think they have accepted these. I would like to know whether our family welfare proposal for tackling the population problem was there or not. This is the only clarification that I want to seek from the hon. Minister.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदया, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाएं किस तरह मजबूत हों यह तो ठीक है लेकिन कमला सिन्हा जी कह रही थी कि राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे सार्क देशों में तीन देशों की हैड महिला है। बंगलादेश की प्रधान मंत्री महिला है, पाकिस्तान की प्रधान मंत्री महिला है और श्रीलंका की राष्ट्रपति महिला हैं। हमारे देश की बड़ी मजबूत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी रही है। इजरायल में भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से तो मजबूत है और होनी चाहिए लेकिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत हो इसके लिए दो बातें इसमें बिल्कुल नजरअंदाज की गई हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा: महिला प्रधानमंत्री के होने से महिलाएं सशक्त नहीं होती हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: नहीं होती है तो उनका कसूर है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): गौतम जी, आप जरा एक मिनट के लिए बैठ जाएंगे। मैंने यह आपसे इसलिए कहा कि Shri Manmohan Singhji would like to lay papers relating to Supplementary Demands for Grants (General), 1995-96 (August, 1995).

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1995-96 (AUGUST, 1995)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam, I beg to lay on the Table of the House a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1995-96 (August, 1995).

CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER

SAARC Ministerial Meeting on Women Held at Dhaka on 29-30 July, 1995 (Contd.)

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदया, बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती हैं। अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए या मर जाए या उसको तलाक दे दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वह आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर रहेगी। इसलिए बच्चे कम से कम होने चाहिए। लेकिन इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इस विषय को इसमें नहीं लाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा अगर किसी महिला को तलाक दे दिया जाए तो वहा कहां जाएगी? वह चाहे किसी धर्म की हो, किसी जाति की महिला हो, तलाक के बाद उसके खर्चाखानगी की जिम्मेदारी चाहे उसके पति पर हो, चाहे उसके परिवार पर हो और चाहे समाज पर हो लेकिन इसकी किसी न किसी पर मुकर्रर करना चाहिए। वरना इसका ....(व्यवधान)...आप जिस दृष्टि से सोचते हैं उस दृष्टि से हम नहीं सोचते। आपका दृष्टिकोण अलग है। मैं मानवीय दृष्टिकोण से सोचता हूं। यह मजहब, धर्म आदमी का बनाया हुआ है। यह अल्लाह या खुदा का बनाया हुआ नहीं है। जातियां आदमियों ने बनायीं हैं, ईश्वर या खुदा ने ये जातियां नहीं बनाई हैं। नियम हमने बनाए हैं। नियम अल्ला मियां के बनाए हुए नहीं हैं। नियम बदल सकते हैं, नियमों में संशोधन हो सकता है।

तलाक के बाद महिलाओं के खर्चा खानगी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तीसरी बात मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गयी। एक बारात में सब जवान ही जवान चले गए। शादी बड़ी मुश्किल से हुई। उन्होंने लड़की वालों को कहा कि हम लोग बकरे खायेंगे हम 50 आदमी हैं। उन्होंने कहा कि आपको 50 बकरे एक साथ खाने पड़ेंगे। अब उनको परेशानी यह हुई कि हम 50 बकरे कैसे खायें। वे चोरी से एक बुड्ढे को ले आये। उस बड्ढे ने कहा कि एक-एक को काटो, भूनो और एक-एक बोटी खाओ। तो हमने यह माना कि वह महिलाओं का सम्मेलन है लेकिन इसमें एक-दो पुरूष भी जाने चाहिए थे।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपको भेजने की सिफारिश कर दें।